



कार्यालय

वनमण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वनमण्डल, बालाघाट म.प्र.

e-mail : dfotnbgghat@mp.gov.in

Telephone No. : (07632) 247044

पत्र क्रमांक/तक.कक्ष/ 1922
प्रति,

बालाघाट, दिनांक 23/08/2024

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध)
वन भवन, तुलसीनगर,
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :- वनमण्डल उत्तर बालाघाट के परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी (मोहगांव) के वनकक्ष क्रमांक RF-1491 के रकबा 40.468 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से बॉक्सआईड उत्खनन एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लि. मुम्बई, (महाराष्ट्र) का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/MIN/23750/2017

संदर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-10/2021-FC, दिनांक 22.03.2024
2. आपका पत्र क्रमांक/F-1/MP/MIN/23750/2017/2073 भोपाल, दिनांक 15.04.2024

-00-

निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.03.2024 में वर्णित बिन्दु क्रमांक (ii), (iii) & (iv) पर चाही गई जानकारी निम्नानुसार टेबुलर फार्म में तैयार कर ऑनलाईन प्रस्ताव में अपलोड कर जानकारी की दो हार्ड प्रति आपकी ओर अवलोकनार्थ सादर सम्प्रेषित है :-

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Point - ii. As per the site inspection Report of Regional Office Bhopal it has been reported that since more than 6.5 years have already elapsed after the enumeration, a fresh enumeration may be required to ascertain the actual no. of trees, species and girth wise proposed to be felled, Therefore the State Govt. shall submit and fresh tree enumeration details.</p> | <p>इस वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत वन परिक्षेत्र, पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी, बीट मोहगांव के आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 1491 रकबा 40.468 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में विद्यमान वृक्षों का प्रजातिवार गणना पत्रक एवं गोसवारा प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Point - iii. As per the site inspection Report of Regional Office Bhopal it has been reported that majority of the area proposed for CA contains natural vegetation (copy enclosed) In case of such areas a programme for improvement of the forest crop is required to be submitted as per rules.</p> | <p>प्रकरण में प्रभावित वनभूमि रकबा 40.468 हेक्टेयर के एवज में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु मे. धरमसी मोरारजी केमिकल्स प्रा. लि. कंपनी, मुम्बई, (महाराष्ट्र) द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैरवनभूमि (निजी भूमि) रकबा 40.829 हेक्टेयर, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| क्र. | ग्राम | ख.न. | रकबा |
|------|----------|------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | खुसीटोला | 17/3 | 4.856 |
| 2 | --- | 7/1 | 0.404 |
| 3 | --- | 18/2 | 2.630 |
| 4 | --- | 25/2 | 3.237 |
| 5 | --- | 25/3 | 2.023 |
| 6 | --- | 11/2 | 2.023 |
| 7 | --- | 11/3 | 0.809 |
| 8 | --- | 26/2 | 3.238 |
| 9 | --- | 6/5 | 1.416 |
| 10 | --- | 6/3 | 0.622 |
| 11 | --- | 6/4 | 1.214 |

| | | | |
|----|-------|-------|--------|
| 12 | -- | 31 | 5.018 |
| 13 | डोरली | 15 | 8.013 |
| 14 | -- | 16 | 5.326 |
| | | योग - | 40.829 |

उपरोक्त प्रस्तावित समस्त गैर वनभूमि श्री सुनील जैन पिता श्री ब्रजलाल जैन, पता जूहू, मुम्बई, महाराष्ट्र के नाम भूमि स्वामी हक के रूप में दर्ज, कृषि/पड़त भूमि है। (खसरा फार्म संलग्न) उक्त गैर वनभूमि राजस्व अभिलेख खसरा फार्म के अनुसार यह भूमि, भूमि स्वामी हक की निजी भूमि है। गैर वनभूमि (निजी भूमि) का वर्तमान में क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षण करने पर गैर वनभूमि पर पूर्व से प्राकृतिक रूप से जीवित खड़े वृक्ष विद्यमान है, जो कि परिभाषित वन की श्रेणी में नहीं आते हैं, अतएव वृक्ष आच्छादित गैरवनभूमि पर भू-जल संरक्षण के अन्तर्गत पत्थर चेक डैम, ब्रशवुड चेकडेम, लैंटाना उन्मुलन एवं पुनरूत्पादन कार्य किये जा सकते हैं। उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की वन सस्य सुधार योजना संलग्न है।

Point - iv. The State has submitted the reply of the User agency without any comments or verification of the fact that the area proposed for Compensatory Afforestation is Non Forest Land in this regard the State Nodal Officer shall submit a certificate that the area proposed for compensatory afforestation is Non-Forest land (NFL).

आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जा रही गैर वन भूमि (निजी भूमि) रकबा 40.829 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख अनुसार किसी भी रूप में परिभाषित वन के रूप में दर्ज नहीं है। तथा सभी कानूनी बन्धनों से मुक्त है। उक्त गैर वनभूमि (निजी भूमि) का वर्तमान में क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षण करने पर गैर वनभूमि पर पूर्व से प्राकृतिक रूप से वृक्षों से आच्छादित है तथा इसका घनत्व 0.4 से अधिक है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वनभवन तुलसी नगर भोपाल के पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/2024/10-11/3616 दिनांक 10.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार यह प्रावधान किये गये है कि गैरवनभूमि में पहले से 0.4 वितान घनत्व या उससे अधिक वनस्पति पैदा हो रही है तो एसी भूमि पर पेड़ लगाने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी, उक्त प्रावधान अनुसार वन विभाग द्वारा वन सफल के सुधार के लिये वन सस्य सुधार योजना तैयार कर संलग्न प्रेषित है। स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(अभिनव पल्लव)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 23/08/2024

पत्र पृष्ठां. क्रमांक/तक.कक्ष/ 1923
प्रतिलिपि :-

- वन संरक्षक, वनवृत्त बालाघाट की ओर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) वनभवन, तुलसी नगर, भोपाल के पत्र पृष्ठां. क्र /F-1/MP/MIN/23750/2017/2074 भोपाल, दिनांक 15.04.2024 के परिपालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- मेसर्स धरमसी मोरारजी, केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र की ओर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) वनभवन, तुलसी नगर, भोपाल के पत्र पृष्ठां. क्र /F-1/MP/MIN/23750/2017/2074 भोपाल, दिनांक 15.04.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु अग्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी

उत्तर सा. वनमण्डल बालाघाट

व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि वनकक्ष क्रमांक 1491, रकबा 40.468 हेक्टेयर क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों का प्रजातिवार
गोसवारा

| क्रमांक | प्रजाति | | गोलाई वर्ग | | | | | | योग |
|---------|--------------------------|--------------|------------|-------|-------|--------|---------|-------------|-----|
| | वानस्पतिक नाम | लोकल नाम नाम | 0-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 150 से अधिक | |
| 1 | Pterocarpus Marsupium | Bija | 0 | 43 | 48 | 80 | 9 | 10 | 190 |
| 2 | Terminalia Tomentosa | Saja | 72 | 166 | 62 | 106 | 48 | 10 | 464 |
| 3 | Bridelia retusa | Kasai | 25 | 145 | 129 | 126 | 0 | 0 | 425 |
| 4 | Anogeissus latifolia | Dhawa | 61 | 190 | 105 | 134 | 80 | 32 | 602 |
| 5 | Dalbergia Latifolia | Shesam | 15 | 223 | 128 | 141 | 3 | 0 | 510 |
| 6 | Ougeinia oojensis | Tinsa | 4 | 54 | 44 | 106 | 12 | 0 | 220 |
| 7 | Lagerstroemia Parviflora | Lendia | 114 | 171 | 155 | 220 | 40 | 0 | 700 |
| 8 | Mitragyna parvifolia | Kalmi | 18 | 44 | 39 | 51 | 12 | 0 | 164 |
| 9 | Casearia graveolens | Barri | 63 | 164 | 91 | 78 | 0 | 0 | 396 |
| 10 | Flacourtia indica | Kanker | 37 | 220 | 99 | 46 | 0 | 0 | 402 |
| 11 | Bauhinia malabarica | Aamta | 50 | 128 | 94 | 226 | 52 | 6 | 556 |
| 12 | Kydia calycina | Vranga | 25 | 200 | 89 | 122 | 0 | 0 | 436 |
| 13 | Garuga pinnata | Gari | 26 | 114 | 45 | 75 | 0 | 0 | 260 |
| 14 | Grewia Tiliaefolia | Dhaman | 54 | 221 | 104 | 130 | 6 | 0 | 515 |
| 15 | Diasporus Melanoxylon | Tendu | 52 | 127 | 31 | 12 | 0 | 0 | 222 |
| 16 | embelica officinalis | Amla | 13 | 198 | 90 | 47 | 0 | 0 | 348 |
| 17 | Bombax Cejba | Semal | 22 | 86 | 28 | 24 | 2 | 0 | 162 |
| 18 | Careya arborea | Bhuai | 20 | 80 | 63 | 79 | 0 | 0 | 242 |
| 19 | Strychnos potatorum | Pader | 22 | 38 | 22 | 70 | 7 | 5 | 164 |
| 20 | Schrebera swietenoides | Mokha | 22 | 48 | 45 | 69 | 8 | 0 | 192 |
| 21 | Lannea coromandelica | Gunja Lakdi | 33 | 165 | 105 | 62 | 0 | 0 | 365 |

| क्रमांक | प्रजाति | | गोलाई वर्ग | | | | | | योग |
|---------|----------------------------|--------------|------------|-------|-------|--------|---------|-------------|-------|
| | वानस्पतिक नाम | लोकल नाम नाम | 0-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 150 से अधिक | |
| 22 | Schleichera oleosa | Kosum | 46 | 64 | 120 | 199 | 79 | 20 | 528 |
| 23 | Albizia odoratissima | Chichwa | 43 | 120 | 90 | 124 | 11 | 0 | 388 |
| 24 | Holarrhena antidysenterica | kudo | 70 | 211 | 75 | 16 | 0 | 0 | 372 |
| 25 | Buchanania lanzan | Char | 28 | 25 | 33 | 22 | 0 | 0 | 108 |
| 26 | Milium tomentosum | Karli | 22 | 150 | 22 | 32 | 0 | 0 | 226 |
| 27 | Terminalia Bellarica | Bahera | 4 | 1 | 5 | 16 | 7 | 2 | 35 |
| 28 | Terminalia Chebula | Harad | 7 | 2 | 7 | 12 | 3 | 0 | 31 |
| 29 | Pongamia Pinnata | Karanji | 29 | 106 | 33 | 26 | 0 | 0 | 194 |
| 30 | Aegle Marmelos | Bel | 21 | 55 | 50 | 61 | 0 | 0 | 187 |
| 31 | Misc. Species | Aalpal | 260 | 1021 | 544 | 436 | 59 | 18 | 2338 |
| Total | | | 1278 | 4580 | 2595 | 2948 | 438 | 103 | 11942 |


 वनमण्डलाधिकारी
 पुत्र (सा.) वनमण्डल बालाघाट

वनमण्डलाधिकारी का गैर वनभूमि का संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 नियम 2003 के तहत में. धरमसी मोरारजी, केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड मुम्बई द्वारा फण्डकी मोहगांव बॉक्साईड उत्खनिपट्टा हेतु आवेदित उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर क्षेत्रांतर्गत वनकक्ष क्रमांक 1491 रकबा 40.468 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के एवज में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित की गई गैर वनभूमि, ग्राम खुर्सीटोला की रकबा 27.490 हेक्टे. एवं ग्राम डोरली की रकबा 13.339 हेक्टेयर कुल रकबा 40.829 हेक्टेयर गैर वनभूमि (निजी भूमि) का मेरे द्वारा उप वनमण्डलाधिकारी बैहर, परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर, परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता एवं स्टॉफ के साथ दिनांक 12.02.2024 को निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम खुर्सीटोला रा.नि.म. परसवाड़ा में स्थित ख.न. 17/3, रकबा 4.856 हेक्टेयर, ख.नं. 7/1 रकबा 0.404 हेक्टेयर, ख.नं. 18/2 रकबा 2.630 हेक्टेयर, ख.नं. 25/2 रकबा 3.237 हेक्टेयर, ख.नं. 25/3 रकबा 2.023 हेक्टेयर, ख.नं. 11/2 रकबा 2.023 हेक्टेयर, ख.नं. 11/3 रकबा 0.809 हेक्टेयर, ख.नं. 26/2 रकबा 3.238 हेक्टेयर, ख.नं. 6/5 रकबा 1.416 हेक्टेयर, ख.नं. 6/3 रकबा 0.622 हेक्टेयर, ख.नं. 6/4 रकबा 1.214 हेक्टेयर एवं ख.नं. 31 रकबा 5.018 हेक्टेयर तथा ग्राम डोरली रा.नि.म. परसवाड़ा में स्थित ख.नं. 15 रकबा 8.013 हेक्टेयर एवं ख.नं. 16 रकबा 5.326 हेक्टेयर कुल 40.829 हेक्टेयर गैर वनभूमि श्री सुनील जैन पिता ब्रजलाल जैन, पता जूहू मुम्बई महाराष्ट्र के नाम भूमि स्वामी हक के रूप में दर्ज कृषि/पड़त भूमि है, राजस्व अभिलेख खसरा फार्म के अनुसार यह भूमि भूमिस्वामी हक की निजी भूमि है। इस गैर वनभूमि पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2003 के प्रावधान लागू नहीं होते है।

उक्त गैर वनभूमि किसी भी रूप में वन की परिभाषा में नहीं आती है। तथा सभी कानूनी बन्धनों से मुक्त है। उक्त गैर वनभूमि पर पूर्व से प्राकृतिक रूप से जीवित खड़े वृक्ष विद्यमान है, वहाँ पर भू-जल संरक्षण के अन्तर्गत पत्थर चेक डैम ब्रशवुड चेकडेम, लेण्टाना उन्मुलन एवं पुनरूत्पादन कार्य किये जा सकते है तथा रोपण योग्य भूमि पर वनीकरण कार्य किया जा सकता है।

(अभिनव पल्लव)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट

क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की वन सस्य सुधार योजना

डी.एम.सी.सी., मुम्बई द्वारा बालाघाट जिले में बाक्सवैट खनन के लिये 40.468 हेक्टेयर वनभूमि की मांग दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में की है। इस संस्था द्वारा इस वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया है। आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये दो स्थानों पर क्रमशः 13.339 हेक्टेयर तथा 27.49 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई है।

आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि पूर्व से ही वृक्षों से आच्छादित है तथा इसका घनत्व 0.4 से अधिक है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.11.2023 से जारी गाईड लाईन के अनुसार इस गैर वनभूमि में किसी प्रकार के रोपण की आवश्यकता नहीं है। गाईड लाईन के अनुसार इस गैर वनभूमि पर मौजूद वन सस्य के सुधार की योजना तैयार की जाना है।

तदनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई 40.829 हेक्टेयर गैर वनभूमि की वन सस्य सुधार योजना निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. प्रबंधन का उद्देश्य :-

प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:-

- ✧ अच्छे वनक्षेत्र से सतत उत्पादन निर्धारित करते हुए मूल्यवान प्रजातियों की अधिकतम वृद्धि सुनिश्चित करना।
- ✧ उपलब्ध वन सस्य से वन वर्धनिक विदोहन करते हुए उनमें अपेक्षित सुधार लाना।
- ✧ सस्य में प्रत्येक आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए आवश्यक सुधार कर यथासंभव सामान्य वनों (Normal Forest) की प्राप्ति करना।
- ✧ आवश्यक उपचार देते हुए मिश्रित प्रजातियों को प्रोत्साहित कर जैव-विविधता में वृद्धि करना।

2. आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई इस 40.829 हेक्टेयर गैर वनभूमि में मुख्य रूप से अच्छी गुणवत्ता के मिश्रित प्रजातियों के वन क्षेत्र हैं जिनमें सस्य का घनत्व 0.4 से अधिक है। इन क्षेत्रों में युवा सस्य का अनुपात पर्याप्त है। परिपक्व वृक्षों की भी उपलब्धता है जिन्हे विदोहित किया जाना सस्य की स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है।

3. प्राप्त गैर वनभूमि का टुकड़ेवार विवरण :-

| टुकड़े का नाम | रकबा हेक्टेयर में |
|-----------------|-------------------|
| 01 | 13.339 |
| 02 | 6.64 |
| 03 | 15.132 |
| 04 | 5.718 |
| कुल रकबा | 40.829 |

4. वनस्पति का सामान्य विवरण :-

चैम्पियन एवं सेठ अनुसार "रिवाइज्ड सर्वे ऑफ फारेस्ट टाईप्स ऑफ इंडिया" में इस प्रबंधन वृत्त में सम्मिलित वनों का प्रकार निम्नानुसार है :-

| क्र. | टाइप | वन के प्रकार |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | सब-टाइप 3 सी/सी3 Sub-Type 3 C/C3 | उत्तरी ऊष्ण आर्द्र पर्णपाती मिश्रित वन (साल रहित) |

प्रबंधन वृत्त में शामिल क्षेत्र मुख्यतः उबड़ खाबड़ हैं एवं वनमण्डल के अंदरूनी क्षेत्रों में स्थित है। इन वनों में पाए जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ क्रमशः *Lagerstroemia parviflora*, *Buchnanian lanzan*, *Butea monosperma*, *Diospyros melanoxylon*, *Ficus bengalensis*, *Carea arborea* etc. आदि है।

5. अंगीकृत की जाने वाली उपचार पद्धति :-

प्रस्तावित गैर वनभूमि उबड़ खाबड़ है एवं आबादी से दूर है। इन वन क्षेत्रों में वनों की घनत्व को बनाए रखना होगा जिससे वनों में भू-क्षरण न हो एवं जैव विविधता को भी बनाये रखा जा सके। यह वनक्षेत्र अच्छी श्रेणी एवं बड़े आकार के वृक्षों को पैदा करने की क्षमता रखता है। प्रबंधन वृत्त में मुख्यतः मध्यम आयु के वृक्ष पाये जाते हैं परन्तु तरुण एवं परिपक्व गोलाई के वृक्षों की संख्या भी काफी है। क्षेत्र में आमतौर पर मूल्यवान प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनका बड़ी इमारती लकड़ी के रूप में मूल्य अधिक है। अतः छोटे वृक्षों को काटना लाभप्रद नहीं है।

इस प्रबंधन वृत्त का मुख्य उद्देश्य वन वर्धनिक दृष्टि से उपलब्ध परिपक्व वृक्षों की कटाई के साथ-साथ सुधारात्मक उपचार करना भी है। जिससे कि मूल्यवान प्रजातियों के वृक्षों को बढ़ने में सहायता मिल सके एवं भविष्य में बड़े आकार के वृक्ष प्राप्त हो सकें। साथ ही प्रमुख प्रजातियों के पुनरुत्पादन की स्थिति को भी सुधारा जा सके। आवश्यकतानुसार संकुल, तरुण वृक्ष समूहों में विरलन एवं सस्य की सघनता के आधार पर हल्का सुधार पातन किया जावेगा। कुछ क्षेत्रों में सागौन के पुराने वृक्षारोपण भी विद्यमान है, उनका अलग से उपचार किया जावेगा। इस पद्धति के अन्तर्गत विभिन्न आयु वर्ग के वृक्षों के सम्मिश्रण से भू-जल का सर्वोत्तम बचाव तथा पर्यावरणीय दृष्टि से वनों का संतुलित परिवर्द्धन किया जा सकेगा।

उपचारों की क्रियाविधि निम्न लक्ष्यों पर आधारित है :-

01. महत्वपूर्ण प्रजातियों के उपलब्ध परिपक्व वृक्षों का 33 प्रतिशत पातन हेतु चिन्हांकित किया जायेगा। अतः उपलब्ध परिपक्व वृक्षों का हल्का पातन किया जावेगा ताकि भविष्य में बड़े आकार के वृक्ष क्षेत्र में उपलब्ध रहें।
02. प्रमुख प्रजातियों के प्राकृतिक पुनरुत्पादन को आवश्यक बढ़त एवं प्रोत्साहित कर सुधारा जावेगा। इस हेतु चयन पूर्व गोलाई वर्ग के वृक्षों को चिन्हांकन से रोका जावेगा। साथ ही मुख्य पातन के बाद विशेष प्रावधान (अग्नि एवं चराई से सुरक्षा, बीज संग्रहण पर प्रतिबंध) आदि किये जायेंगे।
03. 25⁰ से अधिक ढलान वाले क्षेत्रों, विरल वनों, प्राकृतिक रूप से रिक्त क्षेत्रों, अत्यधिक भू-क्षरण वाले क्षेत्रों और बारहमासी नदी-नालों के समानान्तर प्रक्षेत्रों में सस्य को संरक्षण प्रदान करते हुए संनिधि में सुधार का प्रयास किया जायेगा। गहरे भूमि कटाव वाले क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य कराया जायेगा।
04. वर्तमान सस्य की संरचना एवं स्वास्थ्य में सुधार हेतु युवा आयु वर्ग की संकुलित सस्य में विरलन किया जावेगा।
05. पुनरुत्पादन को प्रेरित करने तथा इसे स्थापित करने की अनुकूल परिस्थितियां निर्मित की जावेंगी। आगामी वर्षों के लिये आवश्यक पूरक वनवर्धनिक कार्य (एकलीकरण, सफाई, विकृत पौध की कटाई, विरलन) इत्यादि कार्य किये जायेंगे।
06. पशु-पक्षियों के वास स्थानों, घोंसले आदि के लिये दो से तीन पोले वृक्ष प्रति हे. सुरक्षित रखे जायेंगे।

07. विशिष्ट वन्यप्राणी वास स्थलों जैसे गुफाओं, दरारों तथा खोह के आसपास ओट देने वाले वृक्षों को सुरक्षित रखा जायेगा।
08. रोपण योग्य रिक्त एवं कम घनत्व के वन क्षेत्रोंमें आवश्यक रोपण कार्य तथा उथली मिट्टी वाले रिक्त एवं कम घनत्व के वनक्षेत्रों में आवश्यक चारागाह (पाश्चर) विकास हेतु प्रयास किये जायेंगे।

इस प्रबंधन वृत्त में प्रस्तावित उपचारों का मुख्य उद्देश्य वन संनिधि संरचना में सुधार लाना एवं पुनरूत्पादन को सुनिश्चित करते हुए वनवर्धनिक दृष्टि से उपलब्ध चयन गोलाई के वृक्षों का विदोहन करना है।

6. **चयन गोलाई:-** इस गैर वनभूमि पर मुख्यतः मिश्रित प्रजाति के वृक्ष हैं, जिनके लिये चयन गोलाई 120 से.मी. रखा जाना प्रस्तावित है। पूर्व चयन गोलाई 91 से 120 से.मी. रहेगी।

7. प्रबंधन वृत्त का उपचार श्रेणियों में विभाजन:-

इस गैर वनभूमि का कुल क्षेत्रफल 40.829 हेक्टे. है। यह 40.829 हेक्टेयर 04 टुकड़ों में हैं। अतः इस वनक्षेत्र को उपचार कार्यों के लिये 04 वार्षिक उपचारांशों में विभाजित किया जाता है।

8. कार्य निष्पादन का माध्यम:-

समस्त वार्षिक उपचारांशों में विभागीय तौर पर कार्य किया जावेगा। मुख्य पातन का कार्य उत्पादन वनमण्डल द्वारा किया जावेगा। मुख्य पातन के उपरांत वनवर्धनिक कार्य एवं भू-संरक्षण, वृक्षारोपण आदि कार्य क्षेत्रीय वनमण्डल द्वारा संपादित किये जावेंगे।

9. चिन्हांकन नियम:-

सीमांकन, चिन्हांकन तथा अभिलेखन:-

मुख्य पातन के लिये निर्धारित वर्ष से एक वर्ष पूर्व वार्षिक उपचार इकाई (उपचारांश) का सीमांकन किया जायेगा। विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का चिन्हांकन, अभिलेखन मानक प्रक्रिया एवं समय-समय पर वन मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह विविध नियमन अध्याय के पैरा क्रमांक 16.13 में दिया गया है। मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र. भोपाल के पत्रा क्रमांक/वि./वर्किंग प्लान/4620 दिनांक 18.11.2003 में निहित निर्देशानुसार या समय-समय पर जारी संशोधन अनुसार पातनांशों में सीमांकन एक वर्ष पूर्व माह अक्टूबर में किया जायेगा। सीमांकन उपरान्त पत्रा में दिये गये निर्देशानुसार पुनरूत्पादन वर्धन प्लान तैयार किया जायेगा।

10. सामान्य उपचार नियम :-

समस्त वन क्षेत्र हेतु :-

01. 25° से अधिक ढाल वाले क्षेत्रों सहित समस्त क्षेत्रों में सभी मृत तथा हवा से उखड़े हुए वृक्षों जिनमें फलदार प्रजातियां भी सम्मिलित हैं को चिन्हांकित किया जायेगा बशर्ते उनमें वन्यप्राणी के आश्रय, घोंसले या कौटर न हों। पक्षियों के आश्रय हेतु प्रति हैं. न्यूनतम 2 से 3 सूखे या मृत वृक्ष छोड़े जायेंगे। ऐसे छोड़े जाने वाले वृक्षों में शाखायुक्त वृक्षों को प्राथमिकता दी जायेगी।
02. दुर्लभ एवं बिखरी प्रजातियों के वृक्षों जैसे सेमल, कुल्लू, शीशम, खमेर, सलई, हल्दू, मुण्डी एवं कुरुम वृक्षों को नहीं काटा जायेगा।
03. वन संसाधन सर्वेक्षण में प्राप्त ऐसी प्रजातियां जो प्रति हेक्ट. 1 प्रतिशत से कम संख्या में उपलब्ध है (सलई, हल्दू, धोबन, अमलतास, दूधी, पापड़ा, धामन, मुंड़ी, खैर, सेमल, शीशम इत्यादि) ऐसी सभी ज्ञात एवं अज्ञात प्रजातियों के पातन को प्रतिबंधित रखा जायेगा ताकि वनों में जैव विविधता बनी रहे।
04. औषधीय एवं फलदार वृक्षों जैसे आंवला, हर्रा, बहेड़ा, गूलर, महुआ, तेन्दू, इमली, अचार, जामुन, बेल, कैथा, कचनार, खिरनी, लसोड़ा, कुसुम एवं आम को पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किया जायेगा।
05. ग्रामीणों की आस्था से संबद्ध वृक्षों जैसे पीपल, बरगद इत्यादि को नहीं काटा जायेगा।
06. वनखण्ड की बाहरी सीमा के अंदर 10 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्ष पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किये जायेंगे।
07. पानी के झरने, धार्मिक आस्था के स्थल, पिकनिक स्थल, सड़क किनारे छायादार वृक्ष समूहों को सुरक्षित रखा जायेगा।
08. विश्राम गृह से 30 मीटर की परिधि में आने वाले वृक्षों को चिन्हांकित नहीं किया जाएगा।
09. सुपरिभाषित कगार वाले नदी-नालों (जिनमें जनवरी तक पानी रहता है) के दोनों ओर 20 मीटर की चौड़ी पट्टी में पातन प्रतिबंधित रहेगा।
10. तीव्र ढाल (25° से अधिक) वाले क्षेत्रोंको छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में 90 से.मी. गोलाई तक के पोलाडों (2.5 मी. ऊंचाई तक) को चिन्हांकित किया जायेगा तथा 20 से.मी. गोलाई तक की विकृत पौध चिन्हांकन के समय ही काट दी जायेगी।

11. तीव्र ढाल (25° से अधिक) वाले क्षेत्रोंको छोड़कर शेष क्षेत्रमें कॉपिस प्रजातियों के समस्त कॉपिस देने योग्य जीवित ढूँठों (90 से.मी. गोलाई तक) को जमीन सतह से काटकर ड्रेस किया जायेगा। एक ढूँठ से निकलने वाले कई कापिस पीकों में से 2-3 स्वस्थ पीके छोड़कर शेष काट दिये जायेगे।
12. जैव विविधता वाले सामान्य क्षेत्रों तथा भू-क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर शेष भाग में पुनरुत्पादन को दबाने वाली झाड़ियों की सफाई की जावेगी।
13. ऐस सभी वृक्ष, जिसमें पक्षियों के घोंसले या अन्य वन्य प्राणियों के वास स्थल है, पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किये जायेंगे। विशिष्ट वन्य प्राणियों के वास स्थल जैसे गुफा, खोह, मांद आदि के आस-पास ओट देने वाले 100 मी. के घेरे में वृक्षों को चिन्हांकित नहीं किया जायेगा।
14. क्षेत्र में विद्यमान औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आवश्यक कार्य किये जावेंगे।
15. विदोहन योग्य बांस वन क्षेत्रों में मानक कटाई नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसी प्रकार बिगड़े बांस वन क्षेत्रों में बांस भिरों का उपचार भाग-2 के अध्याय बिगड़े बांस वनों का पुनर्स्थापन प्रबंधन वृत्त में वर्णित उपचारों के अनुसार बिगड़े बांस क्षेत्रों का पुर्नवास किया जायेगा।
16. रोपण योग्य वन विहीन एवं अन्य विरले क्षेत्रों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार रोपण कराया जायेगा।
17. छितरे बांस भिरों वाले क्षेत्रजो बांस अतिव्यापी प्रबंधन वृत्त में शामिल नहीं है ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध बिगड़े एवं विकृत बांस भिरों में आवश्यक सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई कार्य किया जायेगा। ऐसे क्षेत्रोंके अच्छे बांस भिरों में मानक नियमों के अनुसार पातन किया जा सकेगा।
18. वनविहीन एवं अन्य विरले क्षेत्रजिनमें पर्याप्त जड़ भंडार है, ऐसे क्षेत्रों में प्रतिकर्तन, एकलीकरण आदि कार्य कराए जायेंगे।
19. वनविहीन एवं अन्य विरले क्षेत्र जिनमें मृदा की गहराई अपेक्षाकृत कम होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त क्षेत्रों में चारागाह (पाश्चर) विकास कार्य नियमानुसार कराये जायेगे।
20. गहरे भूमि कटाव एवं भू-क्षरण से प्रभावित क्षेत्रोंमें भूमि एवं जल संरक्षण कार्य कराये जावेंगे।

21. पातनांश की सीमा रेखा, वनमार्ग एवं पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग से 10 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्ष पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किये जायेंगे। इसी तरह राजमार्ग के दोनों ओर 20 मीटर की पट्टी में पातन नहीं किया जायेगा।
22. 25° से अधिक ढलान वाले क्षेत्रोंमें खरपतवार उन्मूलन कार्य भू-क्षरण को देखते हुये नहीं किया जायेगा। स्थल की आवश्यकता के अनुसार बीज बुआई या पौधा रोपण परियोजना अनुसार किया जायेगा।
23. बेला कटाई सामान्यतः नहीं की जायेगी। यदि बेला महत्वपूर्ण प्रजातियों की बढ़त प्रभावित कर रही हो तो उसको काटा जायेगा।
24. पलाश वृक्षों पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लाख पालन कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से एवं पलाश वृक्ष की काष्ठ के रूप में अनुपयोगिता को देखते हुए पलाश वृक्षों को पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किया जायेगा।
25. न्यादर्श खण्डक (Sample Plot), रक्षित खण्डक (Preservation Plot), सागौन बीज प्रक्षेत्र एवं बीजा बीज प्रक्षेत्र तथा इन प्रजातियों के धन वृक्ष एवं अन्य विशेष प्रयोजन हेतु सुरक्षित किये गये क्षेत्र के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
26. तीव्र ढाल (25° से अधिक) वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रमें सलई वृक्षों के चारों तरफ 1 मीटर की परिधि में नाली खोदकर जड़ को क्षतिग्रस्त किया जायेगा जिससे की मूल स्कंध से पुनरुत्पादन प्राप्त हो सके। किसी भी दशा में जड़ को काटा नहीं जायेगा।

11. उपचार प्रकार:-

उपचार प्रकार 'ए' (रक्षित क्षेत्र) - इस उपचार प्रकार के अंतर्गत निम्न क्षेत्रशामिल रहेंगे:-

- 25° से अधिक ढलान वाले वन क्षेत्र।
- सुपरिभाषित एवं कगारों वाले तथा माह जनवरी तक पानी रहने वाले नदी-नालों के दोनों ओर 20 मीटर चौड़ी पट्टी का क्षेत्र।
- चट्टानी एवं स्थायी रूप से खाली तथा 0.4 तक सघनता वाला निम्न संनिधि क्षेत्रजो वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास कार्यों के लिये अनुपयुक्त हो।
- अत्यधिक भूक्षरण से प्रभावित क्षेत्र।
- वैनगंगा नदी के दोनों ओर के 200 मीटर के क्षेत्र।

- नहरों के दोनों ओर के 20 मी. चौड़ी पट्टी के क्षेत्र।

उपचार प्रकार 'बी' (रिक्त एवं विरल क्षेत्र) (250 से कम ढलान एवं 0.4 से कम घनत्व वाले क्षेत्र) :-

इस उपचार प्रकार में रिक्त एवं विरले वनक्षेत्र तथा 0.4 घनत्व एवं उससे कम घनत्व वाले क्षेत्र जिनमें पर्याप्त जड़ भंडार वाले क्षेत्र तथा वृक्षारोपण, बीज बुआई एवं चारागाह (पाश्चर) विकास के लिये उपयुक्त क्षेत्र शामिल हैं।

12. विशिष्ट उपचार नियम :-

उपचार वर्ग 'ए' (रक्षित क्षेत्र) :-

01. मात्रा मृत एवं हवा से गिरे वृक्षों का पातन हेतु चिन्हांकन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रको पातन से (विदोहन योग्य बांस क्षेत्रोंमें बांस विदोहन एवं बिगड़े बांस क्षेत्रों में सुधार कार्य छोड़कर) पूर्णतः वंचित रखा जायेगा।
02. वैनगंगा सदानीरा नदी के दोनों ओर 200 मीटर की पट्टी में समस्त प्रकार का पातन प्रतिबंधित रहेगा।
03. भू-क्षरण वाले क्षेत्रों में अध्याय भू-जल संरक्षण में वर्णित विधि अनुसार भू एवं जल संरक्षण का कार्य कराया जायेगा।
04. रोपण हेतु उपयुक्त रिक्त एवं विरल क्षेत्रोंमें रूटशूट लगाना/बीज बुआई/पौधारोपण कार्य किया जायेगा। बीज बुआई कार्य में यह ध्यान रखा जाये कि इसके बहाव से बचने हेतु क्षेत्र में संरचनाएं उपलब्ध हो।

उपचार वर्ग 'बी' (रिक्त एवं विरल क्षेत्र) :-

05. महत्वपूर्ण स्थूणक प्रजातियों की 20 से.मी. गोलाई तक की क्षतिग्रस्त विकृत अग्रिम पौध को काटा जायेगा।
06. महत्वपूर्ण स्थूणक प्रजाति के समस्त कापिस योग्य जीवित टूठ (90 से.मी. गोलाई तक के) काटने हेतु चिन्हांकित किये जायेंगे।
07. मूल्यवान प्रजातियों के समस्त पोलार्ड (Pollard) (2.5 मी. ऊँचाई तक के) एवं 90 से.मी. गोलाई तक के पातन हेतु चिन्हांकित किये जायेंगे।
08. उपलब्ध जड़ भण्डार में एकलीकरण (Singling) (2-3 स्वस्थ पीके छोड़कर शेष को काटना) किया जायेगा।
09. जड़ भण्डार रहित क्षेत्रोंमें वृक्षारोपण एवं बीज बुआई कार्य किये जायेंगे।
10. रिक्त एवं कम घनत्व वाले ऐसे क्षेत्रजिनमें मृदा की गहराई अपेक्षाकृत कम होने के कारण रोपण हेतु अनुपयुक्त हों, में चारागाह (पाश्चर) विकास कार्य कराये जायेगे।

11. क्षेत्रको अग्नि एवं चराई से प्रभावी सुरक्षा की जावेगी।

उपचार वर्ग 'डी' (कार्य योग्य क्षेत्र) :-

इस उपचार प्रकार में पातन हेतु चिन्हांकन मुख्यतः वनवर्धनिक दृष्टि पर आधारित होगा। शीर्ष एवं मध्य वितान में साल एवं सागौन के साथ-साथ अन्य मिश्रित प्रजातियों का पर्याप्त मिश्रण रखा जावेगा।

चयन गोलाई एवं ऊपर के समस्त वृक्षों की चिन्हांकन के पूर्व गणना की जायेगी। चयन गोलाई एवं ऊपर के इन वृक्षों में 50 प्रतिशत वृक्षों को पातन हेतु चिन्हांकित किया जायेगा बशर्ते वे वन वर्धनिक दृष्टि से उपलब्ध हो। इसका अर्थ यह होगा कि कार्य योग्य क्षेत्र में उपलब्ध चयन वृक्षों की संख्या का अधिक से अधिक 50 प्रतिशत ही चिन्हांकित किया जा सकेगा।

विदोहन के लिये वृक्षों का चयन करते समय प्रथमतः मृत, मरणासन्न, पोले, गंभीर रूप से रोगग्रस्त, क्षतिग्रस्त, विकृत, अकामी (Unsound) एवं अर्द्धकामी (Half Sound) वृक्षों को क्रमशः विदोहन हेतु पहले चिन्हांकन किया जावेगा एवं स्वस्थ वृक्षों, जिनमें अच्छे तनों की बनावट है, को रोक लिया जायेगा। यदि चयन गोलाई के ऊपर के स्वस्थ वृक्षों को चिन्हांकित करने की स्थिति आती है तो सर्वप्रथम सबसे अधिक गोलाई के वृक्ष एवं उसके पश्चात उससे कम गोलाई के वृक्ष चिन्हांकित किये जावेगे।

13. मुख्य कार्य वर्ष में किये जाने वाले कार्य:-

मुख्य कार्य वर्ष में उत्पादन वनमण्डल द्वारा पातनांश में विदोहन/उपचार कार्य किया जावेगा। विदोहन उपरान्त पातनांश को 30 जून तक क्षेत्रीय वनमण्डल को हस्तांतरित किया जावेगा। पातनांश में विदोहन संबंधी समस्त कार्य प्रबंधन वृत्त में दिये गये प्रावधानों के अनुसार तथा मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किये जावेंगे।


14. पूरक वन वर्धनिक कार्य:-

मुख्य उपचार के पश्चात निम्न पूरक वन वर्धनिक एवं अन्य कार्य कराये जायेंगे। जिनमें मुख्यतः निम्न कार्य होंगे:-

पुनरुत्पादन कार्य:- मुख्य वन संरक्षक विकास के पत्रा क्र./4620, दिनांक 18/11/03 या समय-समय पर जारी संशोधनों/निर्देशों के अनुरूप कार्य कराये जायेंगे।

अग्नि सुरक्षा एवं चराई नियंत्रण:— कार्य किये गये सभी प्रबंधन इकाईयों को अग्नि सुरक्षा के वर्ग I में रखा जावेगा तथा उन्हें मुख्य प्रबंधन के बाद प्रबंधन वर्ष सहित दस वर्षों तक विशेष अग्नि सुरक्षा प्रदान की जावेगी।

कार्य की गई सभी प्रबंधन इकाईयों में प्रबंधन वर्ष को शामिल करते हुए 5 वर्षों तक चराई बंदी लागू की जावेगी लेकिन समीप के ग्रामवासियों को वन कर्मचारियों की देखरेख में घांस काटकर ले जाने की अनुमति दी जावेगी।


वनमण्डलाधिकारी
उत्तर कानावाट वनमण्डल
.. बालाघाट



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा
प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

R No. : 11111441137

| नमः कुसीटम् | | | पटवारी हत्का: झरिया | | | तहसील: परसवाडा | | | जिला: बालाघाट | | वर्ष: 2024-2025 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/स्त्रोक संख्याक) | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/स्त्रोक संख्याक) | भू-खण्ड संख्याक (स्त्रोक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | माल्की कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलग्न तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियार्थिन | फलक के ब्यारे | | 1. भूमि के सिंगई संबन्धी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अप्रियक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉन्ट्रिम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | फलक 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | फलक के अधीन क्षेत्रफल | |
| 100782 0371 | 6/3 (S) | | 0.6230 हेक्टेयर कृषि रु.0.35 | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुहू मुंबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 29/11/2022 के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। सतकटा जंगल खरीदी से सं. क्र. 10 आ.दि. 24/06/15। 0.623 हेक्ट. भूमि पडत है। रा. प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 के तहत छोटे झाड़ का जंगल एवं सतकटा जंगल को विलोपित किया गया तथा प्रजातिवार वृक्ष सर्वे-31, लेंडिया-36, साजा-23, धावड़ा-9, महुआ-9, सेमर-4 दर्ज |
| 100782 3813 | 6/4 (S) | | 1.2140 हेक्टेयर कृषि रु.0.00 | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुहू मुंबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 29/11/2022 के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। सतकटा जंगल। खरीदी से सं. क्र. 11 आ.दि. 24/06/15। 1.214 हेक्ट. भूमि पडत है। रा. प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 के तहत छोटे झाड़ का जंगल एवं सतकटा जंगल को विलोपित किया गया तथा प्रजातिवार वृक्ष लेंडिया-26, सरई-9, साजा-6, धावड़ा-9, महुआ-9, आम-4, मर्ई-7, सेमर-8 दर्ज |



7 दिसम्बर - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख
खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020



R No. : 11111441137


| सूचिकांक | | | पटवारी हत्का: झिरिया | | तहसील: परसवाड़ा | | | जिला: बालाघाट | | वर्ष: 2024-2025 | |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की टमा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी प्लेट्जर का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. प्लेट्ज की अवधि 3. प्लेट्ज के अधीन क्षेत्र | मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलग्न तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के खारे | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर सरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 00782 4555 | 6/5 (S) | | 1.4160 हेक्टेयर कृषि रु.0.00 | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुहू मुंबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 29/11/2022 के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। सतकठा जंगल। खरीदी से सं. क्र. 09 आ.दि. 24/06/15। 1.416 हेक्ट. भूमि फसत है। न्यायालय तहसीलदार परसवाड़ा के रा.प्र.क्र. 0022/ब-121/2022-23 आदेश दिनांक 29/11/2022 के तहत छोटे झाड़ का जंगल एवं सतकठा जंगल को विलोपित किया गया एवं प्रजातियार वृक्षों की संख्या साजा-21, महुआ-24, लेंडिया-44, घावड़ा-4, सरई-4, पीपल-1, कसई-9 दर्ज |



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत पू-अभिलेख
खसरा

प्रकार एक (विभाग 6 देखिए)

मध्य प्रदेश पू-संरक्षण संहिता (पू-सर्वेक्षण तथा पू-अभिलेख) नियम, 2020



CLR No. : 11111441137

| श्रम: सुरक्षित | | | पटवारी हल्का: इरिया | | | तहसील: परसवाड़ा | | | जिला: बलरघाट | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुमि के प्लॉट की आईडी | पुमि के प्लॉट का प्रकार (सर्वेक्षण सहायक/द्वितीयक सहायक) | पू-सहायक (द्वितीयक टका में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. पुमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. पू-संरक्षण/पू-भाटक (र. में) | 1. पुमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय पुमि | प्रकार की श्रेणी | 1. सरकारी प्लॉट का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. क्षेत्र के अधीन क्षेत्र | मौखी कब्र (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | पुमि पर विद्वान तथा प्रभार 1. बंधक 2. दूधिबधक 3. पू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के बंधारे | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. पुमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. पुमि पर सरचना/सुध 3. अन्य अप्रियक्रिया 4. वर्ष के दौरान कौलूम सहाय (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 100918 4286 | 7/1 (S) | | 0.9520 हेक्टेयर कृषि र. 0.50 | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुहू मुंबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 29/11/2022 के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। दे.स.क्र. 2/21.1.95 सतकटा जंगल खरीदी से सं.क्र. 03 आ.दि. 02/09/2017। 0.952 हेक्ट. भूमि पडत है। न्यायालय तहसीलदार तहसील परसवाड़ा के रा.प्र.क्र. 0022/ब-121/2022-23 के तहत सतकटा जंगल को बिलोपित किया गया एवं प्रजातिवार वृक्षों की संख्या लेंडिया-26, साजा-7, कुन्नी-5, आम-1, चार-8, पलास-9, सरई-11, महुआ-3 दर्ज |
| 805D7Y DDBQE 7H0 | | | | | | | | | | | |
| 101050 3427 | 8/1 (S) | | 0.1610 हेक्टेयर कृषि र. 0.00 | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुहू मुंबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 29/11/2022 के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। खरीदी से सं.क्र. 03 आ.दि. 02/09/2017। 0.161 हेक्ट. भूमि पडत है। न्यायालय तहसीलदार तहसील परसवाड़ा के रा.प्र.क्र. 0022/ब-121/2022-23 आदेश दिनांक 29/11/2022 के तहत प्रजातिवार वृक्षों की संख्या महुआ-12, चार-6, लेंडिया-3 दर्ज |
| 805CJJ DDBRN MH0 | | | | | | | | | | | |



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



LR No. : 11111441137

| नाम: छुत्सीटॉर | | | पटवारी हत्का: सिरिया | | | तहसील: परसवाड़ा | | | जिला: बालघाट | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि के भाग की प्रकृति (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक) | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक) | पू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/पू-पाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. पू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यारे | | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियां 4. बर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 101440 9451 | 11/2 (S) | | 2.0230 हेक्टर/वर्ग कृषि रु 0.75 | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जूहू मुहूर्त शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 29/11/2022 के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। सतकटा जंगल। खरीदी से सं. क्र. 06 आ. दि. 24/06/15। 2.023 हेक्टर भूमि पडत है। न्यायालय तहसीलदार तहसील परसवाड़ा के रा. प्र. क्र. ००२२/ब-१२१/२०२२-२३ आदेश दिनांक २१/११/२०२२ के तहत छोटे झाड़ का जंगल एवं सतकटा जंगल विलोपित किया गया एवं प्रजातियार वृक्षों की संख्या सरई-12, पलाश-5, लेंडिया-66, साज-14, धावड़ा-4, महुआ-9, लिपटिश-4, कुन्ही-5, चार-4, जामुन-१ दर्ज |



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख
खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020



Form No. : 11111441137

| नाम: खुरसीटोल | | | पटवारी हत्का: झिरिया | | तहसील: परसवाड़ा | | | | जिला: बालघाट | | वर्ष: 2024-2025 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि के प्लॉट का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/ब्लॉक संख्याक) | भूमि के प्लॉट संख्याक (ब्लॉक की दशा में) | पू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. पू-राजस्व/पू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अक्षर | 1. सरकारी पड़ेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पहे की अवधि 3. पहे के अधीन क्षेत्र | मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. पू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यारे | | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉल्टर्स संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 101440 6929 | 11/3 (S) | | 0.8090 हेक्टेयर | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुहू मुंबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 29/11/2022 के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज सतकठा जंगल। खरीदी से सं. क्र. 7 आ. दि. 24/06/15। 0.809 हेक्ट. भूमि फसत है। न्यायालय तहसीलदार तहसील परसवाड़ा के रा. प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 आदेश दिनांक 29/11/2022 के तहत छोटे झाड़ का जंगल एवं सतकठा जंगल को विलोपित कर प्रजातिवार वृक्षों की संख्या सरई-15, पलाश-7, लेंडिया-30, साजा-10, घाबड़ा-2, महुआ-6, लिपटीश-2, कुम्ही-2 दर्ज |
| 805DG KDDBT J4H0 | | | रु. 0.00 | | | | | | | | |



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख
खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11111441137

| ग्राम: खुरसीटोल | | | पटवारी हत्का: झिरिया | | | तहसील: परसवाड़ा | | | जिला: बालाघाट | | वर्ष: 2024-2025 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि के भाग की युनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक) | भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी पड़ेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलेग तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यारे फसल के अधीन क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | 1. भूमि के सिचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 101697 5755 | 13/4 (S) | | 1.2140 हेक्टेयर | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुहू मुंबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 29/11/2022 के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। |
| 805F5L DDBUT LHO | | | रु.0.55 | | | | | | | | सतकट्टा झाड़ी है। खरीदी से सं. क्र. 02 आ. दि. 24/06/15। 1.214 हेक्ट. भूमि पडत है। न्यायालय तहसीलदार तहसील परसवाड़ा के रा. प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 आदेश दिनांक 24/11/2022 के तहत छोटे झाड़ का जंगल एवं सतकट्टा झाड़ी को विलोपित कर प्रजातिवार वृक्षों की संख्या पलाय-31, लेंडिया-30, हर्ल-5, महुआ-8, सरई-13, अमलताश-1, धावड़ा-3, सेमर-1, साजा-4, चार-2 दर्ज |



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11111441137

| ग्राम: खुरसीटाटा | | | पटवारी हत्का: झिरिया | | | तहसील: परसवाड़ा | | | जिला: बालाघाट | | वर्ष: 2024-2025 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि के भाग की युनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलेग तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिवंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यारे | | 1. भूमि के सिर्वाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/कृष 3. अन्य अपियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| | | | | | | | | | फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 102202 0571 | 17/3 (S) | | 4.8560 हेक्टेयर कृषि रु.0.00 | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुहू मुंबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र.0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक29/11/2022के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। सतकड़ा झाड़ी है। चांदा 1 खम्बा 3 दु। खरीदी से सं.क्र. 01 आ.दि. 24/06/15। 4.856 हेक्ट. भूमि पडत है। न्यायालय तहसीलदार तहसील परसवाड़ा के रा.प्र.क्र. ००२२/ब-१२१/२०२२-२३ आदेश दिनांक २१/११/२०२२ के तहत सतकड़ा झाड़ी को विलोपित कर प्रजातिवार वृक्षों की संख्या लेंडिया-30,पलाश-60,महुआ-1,हर्रा-1, जामुन-1, धावड़ा-3, हरदूल-1,saaja-3,आम-1,चार-1,सेमर-2,कुसुम-1, उमर-२ दर्ज |



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



CLR No. : 11111 441137

| ग्राम: खुरसीटोल | | | पटवारी हत्का: झिरिया | | | तहसील: परसवाडा | | | जिला: बालाघाट | | वर्ष: 2024-2025 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि के भाग की युनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/ब्लॉक संख्याक) | भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलुप्त तथा प्रपार 1. बंधक 2. दुष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे | | 1. भूमि के सिर्वाई संबंधी प्राप्तिथिति 2. भूमि पर संख्या/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102325 5369 | 18/2 (S) | | 2.6300 हेक्टेयर | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुहू मुंबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 29/11/2022 के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। सतकठा जंगल खरीदी से सं. क्र. 03 आ.दि. 24/06/15। 2.630 हेक्ट. भूमि पडत है। न्यायालय तहसीलदार तहसील परसवाडा के रा.प्र.क्र.००२२/ब-१२१/२०२२-२३ आदेश दिनांक २१/११/२०२२ के तहत छोटे झाड़ का जंगल एवं सतकठा जंगल को विलोपित कर प्रजातिवार वृक्षों की संख्या पीपल-1, पलाश-14, लैंडिया-22, सेमर-1, हरदून-1, महुआ-3, बरगद-1, मर्बई-1, जामुन-१ दर्ज |
| 805FJ1 DDC55 TH0 | | | रु.0.00 | | | | | | | | |



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख
खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11111441137

| ग्राम: खुर्सीटोला | | | पटवारी हत्का: झिरिया | | | तहसील: परसवाडा | | | जिला: बालाघाट | | वर्ष: 2024-2025 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि के भाग की भूमिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक) | भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वां मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रं. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलेग तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिविधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यारे | | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | फसल के ब्यारे | फसल के अधीन क्षेत्रफल | |
| 103191 3292 | 25/2 (S) | | 3.2370 हेक्टेयर कृषि रु.0.90 | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुहू मुंबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र.0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक29/11/2022के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज सतकट्टा जंगल है। खरीदी से सं.क्र. 04 आ.दि. 24/06/15 3.237 हेक्ट. भूमि पडत है। न्यायालय तहसीलदार तहसील परसवाडा के रा.प्र.क्र. ००२२/ब-१२१/२०२२-२३ आदेश दिनांक २९/११/२०२२ के तहत छोटे झाड़ का जंगल एवं सतकट्टा जंगल विलोपित कर प्रजातिवार वृक्षों की संख्या हर्रा-7,साजा-10,लैंडिया-55,बगद-2,कुम्ही-6,धावडा-17,महुआ-8,चिचवा-2,धोबिन-2,जामुन-3,कसई-3,अमलताश-3,हरदूल-3,कारली-1,पलाश-5 दर्ज |
| 103191 3988 | 25/3 (S) | | 2.0230 हेक्टेयर कृषि रु.0.00 | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुहू मुंबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र.0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक29/11/2022के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज सतकट्टा जंगल है। खरीदी से सं.क्र. 05 आ.दि. 24/06/15 2.023 हेक्ट. भूमि पडत है। न्यायालय तहसीलदार तहसील परसवाडा के रा.प्र.क्र. ००२२/ब-१२१/२०२२-२३ आदेश दिनांक २९/११/२०२२ के तहत छोटे झाड़ का जंगल एवं सतकट्टा जंगल को विलोपित कर प्रजातिवार वृक्षों की संख्या हर्रा-3,साजा-9,लैंडिया-23,धावडा-15,महुआ-4,पलाश-2,आंवला-2,सेमर-2,सरई-३ दर्ज |



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख
खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11111441137

| ग्राम: खुसीटोला | | | पटवारी हल्का: सिरिया | | | तहसील: परसवाड़ा | | | जिला: बालघाट | | वर्ष: 2024-2025 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि के भाग की युनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/ब्लॉक संख्याक) | भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यारे 1. फसल 2. खरीफ 3. जायद 4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/बुझ 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1033115501 | 26/2 (S) | | 3.2380 हेक्टेयर | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुहू मुंबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 29/11/2022 के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। सतकट्टा जंगल है। खरीदी से सं. क्र. 08 आ. दि. 24/06/15। 3.238 हेक्टर. भूमि पडत है। न्यायालय तहसीलदार तहसील परसवाड़ा के रा. प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 आदेश दिनांक 29/11/2022 के तहत छोटे झाड़ का जंगल एवं सतकट्टा जंगल विलोपित कर प्रजातिवार वृक्षों की संख्या पलाश-20, लेंडिया-3, घावड़ा-2, चार-1, कुम्ही-1, साजा-1, हर्त-9 दर्ज |
| 805FJE DDC7V 0H0 | | | रु. 0.00 | | | | | | | | |



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख
खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020



CLR No. : 11111441137

| ग्राम: खुरसीटोत्र | | | पटवारी हल्का: झिरिया | | | तहसील: परसवाड़ा | | | जिला: बालाघाट | | वर्ष: 2024-2025 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि के भाग की युनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक) | भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलग्न तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिवंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे | | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अपियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉल्टम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | फसल के ब्यौरे | फसल के अधीन क्षेत्रफल | |
| 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| 103916 3231 | 31 (S) | | 5.0180 हेक्टेयर कृषि रु 0.00 | सुनील जैन पुत्र ब्रजलाल जैन पता जुह नुबई शहर महाराष्ट्र भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 29/11/2022 के अनुसार दिनांक 08/12/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। सतकड़ा जंगल है। खरीदी से सं. क्र. 12 आ. दि. 24/06/15। 5.018 हेक्ट भूमि पडत है। न्यायालय तहसीलदार तहसील परसवाड़ा के रा. प्र. क्र. 0022/ब-121/2022-23 आदेश दिनांक 29/11/2022 के तहत छोटे झाड़ का जंगल एवं सतकड़ा जंगल को विलोपित कर पलाश-68, लेंडिया-33, महुआ-4, हर्रा-4, आम-2, बरगद-4, धावड़ा-5, जामुन-4, साजा-3, मवाई-1, इमली-1, सेमर-2, उमर-1, कुम्भी-9 दर्ज |



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: डोरली | | पटवारी हल्का बडगाँव | | | तहसील परसवाड़ा | | | ज़िला बालाघाट | | वर्ष 2024-2025 | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि के भाग की घूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | गौरुधी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलग्न तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे फसल के अधीन क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जामान 4. अन्य | 1. भूमि के सिवार्ड संबंधी प्रतिक्रिया 2. भूमि पर संयोजना वृक्ष अन्य आमयुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलेम संख्या (1) से (9) तक में प्रतिक्रिया में सुधार के आदेश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1019490355 804JFLD22G08H0 | 15 (S) | 8.0130 हेक्टेयर | वृक्ष ₹ 3.00 | सुनील जैन पुत्र वृजलाल जाति जैन पता बालाघाट मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | 1 | | | | | | तहसीलदार द्वारा प. क्र.0023/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 28/11/2022 के अनुसार दिनांक 02/01/2023 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। झुड़पी जगल घाटा-1 दु.जि.का। खरीदी से स.क्र. 03 आ.दि. 19/06/2015 के अनुसार। 8.013 हेक्ट. भूमि पडत है। न्यायालय तहसीलदार महोदय परसवाड़ा के आदेश क्र. 0023/बी 121/2022-23 के अनुसार झुड़पी जगल शब्द विलोपित किया जाकर वृक्ष की सख्या दर्ज की गयी जिसमें कुम्भी ४९ बीजा ३४५ महुवा १०२ घड़ी ५५ जामुन ३५ तेन्दु १५ धावड़ा ३८ साजा ४२ हरदल ११ कुल ३५६ वृक्ष दर्ज किये गए। आदेशनुसार। |

$\sqrt{442114} = 926$
 $\sqrt{1117} = 33.36$
 $\sqrt{4160796} = 20398.01$
 $\sqrt{107074.41449151} = 32729.86$
 $\sqrt{41444111} = 64377.29$
 $\sqrt{107071.91121112} = 32729.86$
 $\sqrt{20793} = 144.19$
 $\sqrt{2009/20} = 10.04$



2009/20

Graphic Design

Graphic Design
 2009/20

